राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(95) ग्राविवि–5/लेखा/ PMAY-G /प्रशा.मद/2017–18 दिनांक 24 जनवरी, 2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद ,(ग्राविप्र) ,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक मद हेतु संचालित बैंक खातो के संबंध में वित्त (मार्गोपाय) विभाग की आई.डी. क्रमांक 101806225 दिनांक 19.12.2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की विषयान्तर्गत आई.डी के द्वारा क्रमांक 101806225 दिनांक 19.12.2018 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक M-12018/3/2014-RH (A/C) दिनांक 14.07.2016 में वर्णित निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद हेतु पूर्व में खुले हुए 33 जिला परिषदों के बैंक खातों की कार्योत्तर स्वीकृति निम्न 33 जिलों की शर्तों के अध्यधीन प्राप्त की गई है:–

क्र. सं.	जिला	विवरण						
		बैंक का नाम	खाता संख्या	शाखा का नाम व पता	खाता धारक का नाम एवं खाता खोलने की तिथि	खाता संचालित किये जाने वाले अधिकारी	IFSC Code	MICR Code
1.	अजमेर	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	01532193000027	स्टेशन रोड, अजमेर	Chief Executive Officer 22-08-2016	Chief Executive Officer and Project Officer (Acctt.)	ORBC0100153	305022002
2.	अलवर	एक्सिस बैंक	916010048230039	1, जय कॉम्लेक्स, रोड नं. 2, अलवर	M/s CEO, ZP, GVP (PMAY) Alwar 05-08-2016	परियोजना अधिकारी (लेखा) व सीईओ, जिप. अलवर	UTIB0000401	301211002
3	बांसवाड़ा	केनरा बैंक	3385101005589	मोहन कॉलोनी	PMAYG ADMIN A/c जिला परिषद् बांसवाडा 01.08.2016	जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद्	CNRB0003385	327015002
4	बारां	बडौदा राजस्थान केसरिया ग्रामीण बैंक	46430100601276	मिनी सचिवालय बारां	Chief Executive Officer Baran DRDA (PMAY) 26.08.2016		BARB0BRGBXX	325647005
5	बाडमेर	इंडियन ओवरसीज बैंक	243001000005464	इंडियन ओवरसीज बैंक, गोस्वामी टॉवर रॉय कॉलोनी, बाडमेर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) बाडमेर 13.01.2017	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाडमेर। 2. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद् बाडमेर	IOBA0002430	344020002
6	भरतपुर	पंजाब नेशलन बैंक	0049000101451139	लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राविप्र. भरतपुर 03.02.2017	परियोजना अधिकारी (लेखा) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	PUNB0004900	321024002
7	भीलवाडा	पंजाब नेशलन बैंक	3575000101052319	गांधी नगर भीलवाडा	M/s Chief Executive Officer Zila Parishad Gramin	जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	PUNB0466 700	
8	बीकानेर	कौटेक महिन्द्रा बैंक	0712259895	1, कुक्कर प्रोपट्रीज जयपुर रोड, बीकानेर	पी एम ए वाई जी एडमिन ए–सी जिला परिषद बीकानेर 18.01.2017	ए. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर बी. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, बीकानेर	KKBK0003706	207289782
9	बूंदी	बैंक ऑफ बडौदा	01430100021939	बैंक ऑफ बडौदा बूंदी, प्लॉट नं. 4, गायत्री नगर, नई धानमण्डी रोड, बूंदी	M/s ZILA PARISHAD RURAL DEVELOPMENT 01-09-2016	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राविप्र.), बूंदी 2. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद् (ग्राविप्र.), बूंदी	BARB0BUNDIX	323012002

10	चित्तोडगढ़	YES BANK	019194600000610	यस बैंक, भीलवाडा मैन रोड, चित्तोडगढ	CEO ZP (RDC) Chittorgarh 18-10-2016	मुख्य कार्यकारी अधिकारी / परियोजना अधिकारी (लेखा) ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ चित्तौडगढ़	YESB0000191	312532002
11	चूरू	बैंक ऑफ बडौदा, चूरू	01300100025144	स्टेशन रोड चूरू	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA-GRAMIN 23.08.2016	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूरू 2. परियोजना अधिकारी (लेखा) चूरू	BARB0CHURUX	331012002
12	दौसा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	675202010003948	गायत्री नगर आगरा रोड, दौसा	PMAY-G Administration Zila Parishad Dausa 30.07.2016	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	UBIN0567523	303026002
13	धौलपुर	बडौदा राजस्थान क्षेत्री ग्रामीण बैंक	44050100015885	मैन शाखा धौलपुर	जिला परिषद् धौलपुर 19.01.2017	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	BARB0BRGBXX	328647002
14	डूंगरपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	592202010014474	राजश्री टाकिज के सामने, लक्ष्मण मैदान के पास, उदयपुर रोड, डूंगरपुर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी 01.09.2016	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	UBIN00559229	314026002
15	हनुमानगढ	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	11752041003477	कृषि उपज मण्डी नजदीक ला चौक हनुमानगढ	Zila Parishad, PMAY-G	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	ORBC0101175	335022104
16	जयपुर	आई.डी.बी. आई. लि.	0884104000063878	बी– 12, गोविन्द मार्ग, राजापार्क	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) जयपुर 22.06.2016	1. परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर।	IBKL0000884	302259008
17	जैसलमेर	आईसीआई सीआई बैंक	079801002325	जैसलमेर, शिव मार्ग, तालरिया पाडा, जैसलमेर	CEO, Zila Parishad, Jaisalmer PMAY-G Admin 26.09.2016	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	ICIC0000798	345229002
18	जालौर	AXIS Bank Jalore	917010013401373	AXIS Bank Jalore, City Centre, Indirapuri Colony, Near Kanchangiri, Nakoda Ji Road, Jalore.	Pradhanmantri Awas Yojana-Rural Administrative Head 19-01-2017	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2. परियोजना अधिकारी वित्त एवं लेखा	UTIB0001287	343211201
19	झालावाड	BARODA RAJASTHAN KSHETRITYA GRAMIN BANK	45720100143752	झालावाड	जिला परिषद् झालावाड	DRDA (INDIRA AWAS YOJNA)	BARB0BRGBXX	
20	झुन्झुनू	युनियन बैंक	553302010014315	झुन्झुनू	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुन्झुनू		UBIN0555339	321026501
21	जोधपुर	आई डी बी आई	2031104000006514	पावटा सर्किल, जोधपुर	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण 10.08.2016	मुख्य कार्यकारी अधिकारी / परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं जिला परिषद जोधपुर	IBKL0002031	342259004
22	करौली	बैंक ऑफ बडौदा करौली	06390100019821	गुलाब बाग करौली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, करौली 03.12.2012	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, करौली	BARB0KARAUL	322012001
23	कोटा	आईसीआई सीआई बैंक	687001700707	Areodrum Circkele Kota	CEO, Zila Parishad, Kota 27.02.2017	मुख्य कार्यकारी अधिकारी परियोजना अधिकारी (लेखा),	ICIC0006870	324229015
24	नागौर	बैंक ऑफ बडौदा	10280100023771	फोर्ट रोड, नागौर	PMAYADMINISTRATION SCHEME 27.04.2018		BARB0NAGAUR	341012002
25	पाली	एसबीआई बैंक	51085683873	कलेक्ट्रेट पाली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, पाली 10.03.2004	मुख्य कार्यकारी अधिकारी परियोजना अधिकारी (लेखा),	SBIN0031589	306002030
26	प्रतापगढ़	बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	42310100022278	बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ अम्बेडकर सर्कल के पास, धरियावद नाका प्रतापगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, प्रतापगढ़ 10.05.2016	**दस लाख तक** 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं परियोजना अधिकारी, लेखा के संयुक्त हस्ताक्षर से **दस लाख से अधिक** 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2. मा0 प्रमुख महोदय जिला परिषद् प्रतापगढ़ के संयुक्त हस्ताक्षर से	BARB0BRGBXX	312647201
27	राजसमंद	बैंक ऑफ बडौदा राजसमंद	16920100009294	द्वारकेश मार्केट कांकरोली	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, राजसमंद 03.02.2017	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	BARB0KANUDA	313012025

28	सवाई माधोपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, स0 माधोपुर	499902010024168	11–12, जवाहर नगर, पुरानी ट्रक यूनियन सर्किल, स0 माधोपुर	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जिला परिषद, स0 माधोपुर 23.08.2016	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/परियोजना अधिकारी (लेखा), मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला प्रमुख	UBIN0549991	322026002
29	सीकर	इडियन बैंक	6101113597	Rajasthan Battry House, Jaipur Road, Sikar	INDIRA AWAS YOJANA 05-02-2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्राविप्र.), परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद (ग्राविप्र.), जिला प्रमुख जिला परिषद, सीकर	IDIB000S193	332019002
30	सिरोही	भारतीय स्टेट बैंक	61341793337	भारतीय स्टेट बैंक, सुभाष पार्क, सिरोही शहर–सिरोही, तहसील–सिरोही, जिला–सिरोही	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही 19.01.2017	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही 2. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद् सिरोही	SBIN0031185	307002008
31	गंगानगर	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	11712041024247	नगर परिषद, श्रीगंगानगर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, 22.06.2016	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2. परियोजना अधिकारी (लेखा),	ORBC0101171	335022004
32	टोंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3494164259	सुभाष बाजार, टोंक	CEO, Zila Parishad, Tonk 12.10.2015	Chief Executive Officer and Project Officer (Acctt.)	CBIN0281639	304016002
33	उदयपुर	कोटेक महिन्द्रा बैंक	712255170	8, सी मधुबन उदयपुर	CEO Zila Parishad Udaipur 18.01.2017	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर एवं परियोजना अधिकारी (लेखा)	KKBK0000272	313485002

उक्त बैंक खातों की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावें:–

1. विभाग द्वारा वित्त (मार्गोपाय) विभाग के आदेश क्रमांक प. 15(5)विमा/2012 दिनांक 02.07.2018 के निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. विभाग द्वारा तत्संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना का केन्द्रीयकृत बैंक खाता जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति से खुला हुआ है। उससे ही जिलों के खातें लिकं करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

(जयपाल सिंह मेड़तिया)
राज्य नोडल अधिकारी,
(PMAY-G)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. विकास।
2. उप सचिव वित्त (मार्गोपाय) विभाग सचिवालय, जयपुर।
3. वितीय सलाहकार, ग्रा.वि.वि.।
4. जिला कलक्टर (समस्त)।
5. सम्बन्धित समस्त कोषाधिकारी।

राज्य नोडल अधिकारी,
(PMAY-G)

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प. 15(5) विमा/2012 जयपुर, दिनांक 02 जुलाई 2018

आदेश

विषयः– राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों के पी.डी. खाते व बैंकों में निधियों की जमा एवं निवेश (**Deposits and Investments**) से संबंधित निर्देश।

राजकीय विभागों द्वारा योजना क्रियान्वयन और राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायो, राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर संस्थाओं आदि की निधियों के जमा एवं निवेश (Deposits and Investments) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.02.1995 एवं समय–समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। ऐसे समस्त आदेशों और संशोधनों के अतिक्रमण में विभिन्न विभागो, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की निधियों के जमा/विनियोजन के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(1) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान, ऋण, राजकीय राशि अथवा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/भारत सरकार से प्राप्त राशि को ब्याज रहित पी.डी खाते में ही जमा रखी जावें एवं इसका अन्यत्र विनियोजन अनुमत नहीं है।

(2) नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां कोष/उप कोष में पी.डी. खाते (बिना ब्याज) में रखी जावेगी।

(3) स्थानीय निकाय, स्वायतशाषी संस्थाऐं और राजकीय कम्पनियों द्वारा स्वयं की अर्जित आय में से अधिशेष निधियां राज्य सरकार के पास कोष/उप कोष में ब्याज अर्जित करने वाले निक्षेप के रूप में रखी जावेगी।

(4) भारत सरकार की योजनाओं के दिशा निर्देशों में अनिवार्यता/वैधानिक आवश्यकता होने पर राशि का विनियोजन/जमा, वित्त विभाग द्वारा अनुमत बैंक खाते (Account) में किया जा सकेगा। यह खाता वाणिज्यिक/ग्रामीण/सहकारी बैंकों में खोला जा सकेगा।

उक्त प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु पीडी खातों/बैंक खातों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैंः–

C:\Users\Deputy Secretary\Desktop\PD\P.D Circulars copy2.docx

1. ऑनलाईन नवीन पी.डी. खाता खोलने की प्रक्रिया

वित्त (मार्गोपाय) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(15)वि.मा./2011–पार्ट–II दिनांक 05.09.2017 के अनुसार नवीन पी.डी. खाता खोलने हेतु संबंधित विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रशासनिक विभाग की अनुशंषा के साथ पत्रावली पर निम्नाकिंत सूचनाओं सहित प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रेषित किए जावेगें:–

(i) नवीन पी.डी. खाते का नाम

(ii) विभाग/संस्था/निगम का नाम एवं पूर्ण पता

(iii) पी.डी. खाते का प्रकार–ब्याज रहित/ब्याज सहित

(iv) पी.डी. खाता खोलने का उद्देश्य

(v) कोषालय/उप कोषालय का नाम जहां पी.डी. खाता खुलवाया जाना है

(vi) पी.डी. खाते को संचालित करने वाले अधिकारी का पदनाम

(vii) पी.डी. खाते संचालन की प्रकृति (एकल/संयुक्त) एवं यदि आहरण की कोई सीमा रखी जानी है तो उसका विवरण

(viii) पी.डी. खाता खुलवाने वाले संस्था/निगम का विधिक Status - किस अधिनियम/नियम/निर्देश के अन्तर्गत गठित/पंजीकृत किया गया है। गठन/पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।

(ix) पी.डी. खाता धारक के आय के स्त्रोत एवं Fund Flow Mechanism

विभागीय प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा ऑनलाईन पी.डी. खाता खोला जावेगा। विभाग/संस्था/स्वायतशाषी संस्था का ऑनलाईन पी.डी. खाता खोले जाने पर संबंधित द्वारा कोषालय/उपकोषालय से सम्पर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जावेगी। संबंधित कोषालय द्वारा वित्त (मार्गोपाय) विभाग की ऑनलाईन स्वीकृति के अनुसार ही पी.डी. मॉड्यूल पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर पी.डी. खाता खोला जावेगा।

2. पी.डी. खाते में संशोधन

विद्यमान पी.डी. खातों में किसी प्रकार के संशोधन किए जाने के संबंध में विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पत्रावली पर

पूर्ण औचित्य सहित ही भिजवाए जावेंगे तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा प्रस्तावानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कर ऑनलाईन संशोधन की स्वीकृति जारी की जावेगी।

3. **पी.डी. खाता बन्द करना**

(i) राजस्थान कोषागर नियम 2012 के नियम 98 के अनुसार गत 5 वित्तीय वर्ष में किसी पी.डी. खाते (ब्याज रहित) में कोई लेन देन नहीं होने पर खाता निष्क्रिय हो जावेगा तथा संबंधित कोषाधिकारी द्वारा **कोषागार नियम 98** की पालना करते हुए ऐसे खाते की अवशेष राशि बजट मद 0075 विविध सामान्य सेवाएं 101–(अदावाकृत) में जमा की जाकर खाते को बन्द किया जावेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग, निदेशक, कोष व लेखा एवं खाता धारक को सूचना दी जावेगी।

(ii) पी.डी. खाता धारक (ब्याज रहित) द्वारा पी.डी. खाता बन्द करने के लिए मना करने पर संबंधित कोषालय द्वारा निदेशक, कोष व लेखा के माध्यम से वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रकरण निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(iii) पी.डी. खातें (ब्याज सहित) में 5 वर्ष तक कोई लेनदेन नहीं होने पर भी वह निष्क्रिय नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वित्त (मार्गोपाय) विभाग के निर्देश पर इसे बन्द किया जा सकेगा।

4. **पी.डी. खाता (ब्याज सहित) की जमाओं पर ब्याज भुगतान**

(i) विभागो, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा अपने पी.डी. खाते (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) के प्रतिवर्ष दिनांक 31 मार्च को रहे शेष का सत्यापन संबंधित कोषालय से करवाया जावेगा।

(ii) पी.डी. खाता (ब्याज सहित) की जमाओं पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जावेगा जिसका आकलन संबंधित कोषालय द्वारा किया जाकर खाता धारक संस्था/विभाग के पी.डी. खाता (ब्याज रहित) में जमा किया जावेगा।

(iii) पी.डी.खाता (ब्याज सहित) में प्रत्येक जमा के पृथक जमा मानकर उस पर पृथक से ब्याज आकलन किया जावेगा।

(iv) पी.डी. खाते (ब्याज सहित) में राशि आहरण प्रथम जमा प्रथम आहरण (First in first out) के आधार पर किया जावेगा।

(v) स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि की निजी निक्षेप (पी.डी) खातों में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी

ब्याज दर से भुगतान किया जावेंगा। तीन माह एवं उससे कम अवधि की जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(vi) ब्याज सहित निजी निक्षेप खाते से ब्याज का भुगतान न किया जाकर उसे ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते मे वार्षिक रूप से हस्तान्तरित किया जावेगा। देय ब्याज की राशि स्थानान्तरित प्रविष्टि द्वारा बजट मद 2049 ब्याज अदायगी 60– अन्य दायित्वों पर ब्याज 101– जमा राशि पर ब्याज के अन्तर्गत विस्तृत संबंधित मदों में नामे (डेबिट) लिखकर संस्था के ब्याज रहित पी.डी. खाते में जमा की जावें।

(vii) गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर पी.डी. खाता खोला जावेगा।

(viii) वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जी.पी.एफ. एवं अन्य समान फण्ड्स–सी.पी.एफ. पर ब्याज दर जो समय–समय पर निर्धारित की जाती है, के अनुसार जमाओं पर ब्याज भुगतान कोषालयों द्वारा किया जावेगा।

बैंक खाता खोलने के दिशा–निर्देश

इस विभाग के पत्रांक पं. 21(2) विमा/2010 दिनांक 07.01.2016 द्वारा बैंक खाता खोलने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

(i) वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही बैंक खाते खोले जावें।

(ii) यदि विभाग द्वारा वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना बैंक खाता खोला गया है तथा उसका संचालन किया जाना अत्यावशक हो तो उसकी वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें, अन्यथा उन खातों को तत्काल बन्द किया जावे।

(iii) बैंक खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किया जावें एवं विभागीय अधिकारियों के नाम के स्थान पर संस्था/परियोजना के नाम से बैंक खाते खुलवाए जावें ।

1. बैंक खाता खोले जाने की अनुमति हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया

विभाग में किसी योजना का क्रियान्वयन बैंक खाते के द्वारा किया जाना अनिवार्य हो तो उस योजना हेतु खोले जाने वाले बैंक खाते की अनुमति हेतु प्रस्ताव वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के साथ निम्न सूचनाओं सहित वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे–

(i) योजना का क्रियान्वयन यदि किसी संस्था द्वारा किया जाना है तो, उस संस्था की विधिक स्थिति (Legal Status) का पूर्ण विवरण (प्रमाणक की प्रति सहित)।

(ii) उस संस्था के आय के स्त्रोत यथा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान/अन्य स्त्रोत का पूर्ण विवरण।

(iii) योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक खाते की अनिवार्यता हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार की गाईड लाईन/दिशा निर्देशों की प्रति।

(iv) योजना के कियान्वयन हेतु प्राप्त राशि को संबंधित राजस्व मद अथवा विभाग/संस्था के पी. डी. खाते के माध्यम से अथवा अन्य बैंक खाते में जमा करवा कर उस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता हो तो उसका परीक्षण विभाग/संस्था/कम्पनी में कार्यरत वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखाधिकारी से करवाकर उसकी टिप्पणी सहित भिजवाया जावेगा।

(v) किसी योजना के कियान्वयन हेतु जिलेवार/ब्लॉकवार बैंक खाता खोला जाना आवश्यक हो तो वित्त विभाग की पूर्वानुमति से एक केन्द्रीयकृत बैंक खाता ही खोला जावें, जिसमे जिलेवार/ब्लॉकवार लिंक खातो के रूप में ही खोले जावे। इस संबंध में बैंको द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर/मॉडयूल/सिस्टम विकसित कराने की कार्यवाही करावे, ताकि विभाग/संस्था को वांछित आय–व्यय डाटा/लेजर आदि का विवरण बैंक से ही प्राप्त हो सके।

2. बैंक खातों में बन्द पड़ी योजनाओं के अवशेष राशि के संबंध में निर्देश

विभागों के पूर्व में खुले हुए बैंक खाते, जिनकी योजना का संचालन बन्द हो चुका हो, एवं उन योजनाओं की अवशेष राशि बैंक खातो में जमा हो तो, उन्हे तत्काल राजकोष में जमा कराया जावे तथा उसका पूर्व विवरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

स. <u>अन्य निर्देश</u>

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण (विभाग) यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश में अंतर्विष्ट इन अनुदेशों का संबंधित स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाएं इत्यादि जिनके लेखों की विभाग द्वारा संपरीक्षा की जाती है, अनुसरण करें।

विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीयों निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों में कार्यरत वरिष्ठतम राज. लेखा के अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(मुकेश शर्मा)
अति. मुख्य सचिव (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नांकित से सूचनार्थ एवं आवश्यकर्ता कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानमहालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्यमंत्रीगण
6. शासन सचिवालय के समस्त नियम अनुभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संबंधित संस्थायें, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)